NO/PA/ADDL., DMHS (ADM)
0 S(NG)
07 JUN 2017
ADDL. DMHS. (ADM)

PA/ADDL DM&HS (ADM.)
No. 4/2014
8/4/17

कार्यालय रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक फा.1(121)सविरा/प्रोसे/02/पार्ट–5/के.पाटन दिनांकः– 29/5/17

आदेश

सहकारी विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 12.04.2016 के द्वारा श्रीकेशोरायपाटन सहकारी शुगर मिल लि. बून्दी, श्रीगंगानगर कॉटन काम्पलैक्स लि. श्रीगंगानगर, स्पिनफैड, जयपुर, एवं तिलम संघ, जयपुर के कर्मचारियों को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, पंचायती राज विभाग, सहकारिता विभाग एवं अन्य संस्थाओं में विपरीत प्रतिनियुक्ति पर लगाया हुआ है, इनकी प्रतिनियुक्ति अवधि दिनांक 31.3.2017 तक बढाई गई थी। इस अवधि में वित्त विभाग द्वारा एक वर्ष और दिनांक 31.3.2018 तक की वृद्वि किये जाने की सहमति प्रदान की गई है। विपरीत प्रतिनियुक्ति अवधि में वित्त विभाग के परिपत्र सं.1(2)वित्त/नियम/2003/पार्ट दिनांक 17.2.2007 **(प्रति संलग्न)** में दिये गये निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जाये।

उक्त टिप्पणी वित्त विभाग के आई.डी. नं. 181700341 दिनांक 27.4.2017 द्वारा सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

संलग्न–उपरोक्तानुसार

Sh. Vinod
8/6/17

1480
8.6.17

–Sd–

(अर्चना सिंह)
अतिरिक्त रजिस्ट्रार (प्रथम)

प्रतिलिपिः– निम्न लिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु–

1. अतिरिक्त निदेशक,प्रशासन,चिकित्सा एंव स्वास्थ्य विभाग राज. जयपुर।
2. ~~उप~~ संयुक्त शासन सचिव,सहकारिता विभाग राज. जयपुर।
3. शासन उप सचिव (प्र–2) ग्रामीण विकास एंव पंचायतीराज विभाग राज. जयपुर।
4. शासन उप सचिव (प्र–1)(ग्रामीण विकास अनुभाग–1) ग्रामीण विकास एंव पंचायतीराज विभाग राज. जयपुर।
5. प्रबंध निदेशक, तिलम संघ जयपुर।
6. संयुक्त रजिट्रार(प्रशासन), प्र0का0, जयपुर।
7. कार्यकारी सचिव, स्पिनफैड, जयपुर।
8. अवसायक, केशोरायपाटन सह.शुगर मिल एंव संयुक्त रजिस्ट्रार,सहकारी समितियॅा, कोटा।
9. अवसायक, श्रीगंगानगर कोआपरेटिव कॅाटन कोम्पलेक्स लि0 एंव प्रबंध निदेशक केन्द्रीय सहकारी बैंक लि0 श्रीगंगानगर।

(त्रिभुवन सिंह सिसोदिया)
अतिरिक्त रजिस्ट्रार (प्रोसेसिंग)

(7)

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें,राज0जयपुर

क्रमांकः ई–12/एम/(97–III)रि.डेपु./2017/493 दिनांकः– 21/06/17

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1– उप शासन सचिव, सहकारिता विभाग, राज0 जयपुर ।
2– शासन उप सचिव, चिकित्सा एंव स्वास्थ्य(ग्रुप–3) विभाग, राज0 जयपुर ।
3– शासन उप सचिव(प्र–2) ग्रामीण विकास एंव पंचायती राज विभाग, राज0 जयपुर ।
4– निदेशक(जन स्वास्थ्य), मुख्यालय ।
5– अवसायक, केशोराय पाटन सहकारी शुगर मिल एंव संयुक्त रजिस्ट्रार, सहकारी समितियॉ, कोटा ।
6– अवसायक, श्रीगंगानगर कोआपरेटिव कॉटन कोम्पलेक्स लि0 एंव प्रबंध निदेशक केन्द्रीय सहकारी बैंक, लि0 श्रीगंगानगर ।
7– समस्त अधीक्षक, चिकित्सा एंव स्वास्थ्य विभाग, राज0 जयपुर ।
8– समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एंव स्वास्थ्य सेवायें, जोन, राजस्थान ।
9– समस्त मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्थान ।
10–समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजस्थान ।
11–प्रभारी, सर्वर रूम, क0नं0 302, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त पत्र को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने का श्रम करें ।
12–रक्षित पत्रावली ।

(राकेश शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राज0,जयपुर

राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
नियम अनुभाग

क्रमांक : प.1(2)वित्त/नियम/2003 पार्ट - I जयपुर, दिनांक : 17.02.2007

परिपत्र

विषय: राज्य सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों / बोर्ड इत्यादि से राज्य सरकार के विभागों में विपरीत प्रतिनियुक्ति (Reverse Deputation) हेतु सामान्य शर्तें एवं निर्देश।

राजकीय सार्वजनिक उपक्रमों / मण्डलों एवं स्थानीय निकायों आदि के कर्मचारियों को राजकीय विभागों में विभिन्न पदों पर प्रतिनियुक्ति हेतु प्रस्ताव राज्य सरकार को प्राप्त होते रहते हैं। राजस्थान सेवा नियम में राज्य कर्मचारी की राजकीय उपक्रम / मण्डल/ स्थानीय निकायों में प्रतिनियुक्ति के संबंध में यथोचित प्रावधान हैं लेकिन इस प्रकार की विपरीत प्रतिनियुक्ति (Reverse Deputation) के लिये कोई प्रावधान नहीं है। इस संबंध में किसी प्रकार के दिशा निर्देश भी जारी नहीं किये गये हैं। विपरीत प्रतिनियुक्तियों हेतु आवश्यक होने पर प्रशासनिक विभागों द्वारा प्रस्तावित किये जाने पर वित्त विभाग द्वारा स्वीकृति दी जाती है।

इस संबंध में समुचित व्यवस्था के लिये विपरीत प्रतिनियुक्ति (Reverse Deputation) हेतु निम्नलिखित सामान्य निर्देश / शर्तें एतद्द्वारा जारी की जाती हैं, जिनकी अनुपालना होने पर ही विपरीत प्रतिनियुक्ति (Reverse Deputation) की जा सकेगी :

(i) रिवर्स डेपूटेशन उन्हीं कर्मचारियों का किया जायेगा जिनको अधिशेष घोषित नहीं किया गया हो या जिनकी छंटनी नहीं की गई हो या संस्थान / उसके किसी भाग को, जिसमें कर्मचारी कार्यरत है, को बन्द करने का निर्णय नहीं लिया गया हो। कर्मचारी नियमित रूप से उस संस्थान में कार्यरत हों। इस आशय का प्रमाण पत्र संस्था के मुखिया (MD / CMD) को उपरोक्त शब्दों में देना होगा।

(ii) पैतृक संस्थान में दैनिक वेतन, स्थिर वेतन, संविदा पर नियुक्त कार्मिकों की विपरीत प्रतिनियुक्ति (Reverse Deputation) नहीं की जायेगी।

(iii) विपरीत प्रतिनियुक्ति (Reverse Deputation) पर उन्हीं कर्मचारियों को लगाया जायेगा जो पैतृक संस्थान में नियमित रूप से चयन के फलस्वरूप सेवा में आये हों एवं समान वेतन श्रृंखला/ उच्च वेतन श्रृंखला आहरित कर रहे हों। उच्च वेतन श्रृंखला के पद के विरुद्ध निम्न वेतन श्रृंखला के कर्मचारी को प्रतिनियुक्ति पर नहीं लगाया जाये।

(iv) विपरीत प्रतिनियुक्ति (Reverse Deputation) की अवधि राज्य सरकार के विभाग / कार्यालय में कार्य ग्रहण करने की दिनांक से 1 वर्ष तक होगी जो वित्त विभाग की अनुमति से सामान्यतया 3 वर्ष तक के लिये बढ़ाई जा सकती है।

(v) उक्त बिन्दु (ii) एवं (iii) के आशय का प्रमाण पत्र भी संस्था के मुखिया (MD / CMD) को देना होगा।

(vi) कोई कर्मचारी विपरीत प्रतिनियुक्ति (Reverse Deputation) पर उसी पद पर प्रतिनियुक्ति पर लिया जा सकेगा जिस पर नियुक्ति हेतु निर्धारित शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य योग्यताएं रखता हो। इसमें किसी प्रकार का शिथिलीकरण नहीं दिया जायेगा। कार्मिक विभाग अपवाद स्वरूप विशिष्ट मामलों में परीक्षण करके, मुख्यमंत्री के पूर्व अनुमोदन से निर्धारित योग्यताओं को उचित सीमा तक शिथिलता प्रदान कर सकेगा जिसकी पूर्व अनुमति संबंधित प्रशासनिक विभाग (Reverse Deputation पर लेने वाला) आदेश जारी करने से पूर्व प्राप्त करेगा और आदेशों में इसका संदर्भ अंकित किया जायेगा।

(vii) विपरीत प्रतिनियुक्ति (Reverse Deputation) के दौरान कर्मचारी को वे ही वेतन एवं भत्ते देय होंगे जो वे पैतृक संस्थान में प्राप्त कर रहे थे अथवा सरकार में देय हों (जो भी कम हो) परन्तु उसे ऐसे अतिरिक्त भत्ते / सुविधाएं देय नहीं होंगी जो उसे पैतृक संस्थान में प्राप्त थी परन्तु राज्य सरकार में उसके समकक्ष कर्मचारी को देय नहीं हों।

(viii) विपरीत प्रतिनियुक्ति (Reverse Deputation) के दौरान राज्य बीमा, जी.पी.एफ., आर.पी. एम.एफ. एवं राज्य कर्मचारियों से किये जाने वाली ऐसी अन्य कटौतियां ऐसे कर्मचारी के वेतन से नहीं की जायेंगी।

(ix) विपरीत प्रतिनियुक्ति (Reverse Deputation) के दौरान ऐसे कर्मचारियों के वेतन से पैतृक संस्थान के नियमों के अनुसार वसूली योग्य राशि वेतन से काटी जायेगी। कार्मिक का सीपीएफ अंशदान एवं नियोक्ता का अंशदान नियमित रूप से पैतृक संस्थान को भेजा जायेगा।

(x) विपरीत प्रतिनियुक्त (Reverse Deputation) कार्मिकों पर पैतृक संस्थान के सेवा नियमों की सेवा शर्तें यथावत लागू होंगी एवं अवकाश लाभ पैतृक संस्थान के नियमों के अनुसार ही देय होंगे।

(xi) विपरीत प्रतिनियुक्ति (Reverse Deputation) के कार्मिकों को प्रतिनियुक्ति भत्ता देय नहीं होगा।

(xii) ऐसे कर्मचारियों को विपरीत प्रतिनियुक्ति (Reverse Deputation) के दौरान पैतृक संस्थान से बोनस / एक्स–ग्रेशिया का भुगतान नहीं किया जायेगा।

(xiii) चिकित्सा सुविधा एवं यात्रा भत्ता नियम राज्य सरकार के कार्मिकों के अनुरूप ही देय होंगे।

(xiv) विपरीत प्रतिनियुक्ति (Reverse Deputation) के दौरान कार्मिक के सर्विस रिकार्ड का संधारण पैतृक संस्थान द्वारा ही किया जायेगा। वार्षिक वेतन वृद्धियां आदि पदस्थापन के दौरान नियंत्रण अधिकारी द्वारा स्वीकृत की जायेंगी।

(xv) यदि पैतृक संस्था में छंटनी या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना लागू की जाती है या पैतृक संस्था को बन्द किये जाने का निर्णय किया जाता है तो ऐसी संस्था के विपरीत प्रतिनियुक्ति (Reverse Deputation) पर आये कर्मचारी को भी पैतृक संस्था को लौटाना होगा जिससे संस्था उसे स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति दे सके अथवा छंटनी कर सके।

(xvi) विपरीत प्रतिनियुक्ति (Reverse Deputation) पर कार्यरत कार्मिकों को राज्य कर्मचारियों को देय पेंशन इत्यादि के लाभ देय नहीं होंगे अपितु पैतृक संस्थान के अनुसार ही सेवानिवृत्ति लाभ नियमानुसार देय होंगे एवं पैतृक संस्थान द्वारा ही भुगतान किया जायेगा।

(xvii) सेवानिवृत्ति से तीन माह या स्वीकृत प्रतिनियुक्ति की निर्धारित अवधि, जो भी पहले हो, के अनुसार कार्मिक को उसके पैतृक संस्थान में लौटा दिया जायेगा।

(xviii) विपरीत प्रतिनियुक्ति (Reverse Deputation) पर किसी भी कर्मचारी को वित्त (नियम) विभाग की पूर्व स्वीकृति के उपरान्त ही लिया जा सकेगा।

17/2/2017

(सुभाष गर्ग)

शासन सचिव, वित्त – तृतीय

राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(नियम अनुभाग)

क्रमांक : प.1(2)वित्त/नियम/2003 पार्ट-I **जयपुर, दिनांक : 3 - FEB 2010**

परिपत्र

विषय :- **राज्य सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों / बोर्ड इत्यादि से राज्य सरकार के विभागों में विपरीत प्रतिनियुक्ति (Reverse Deputation) हेतु सामान्य शर्तें एवं निर्देश।**

राजकीय सार्वजनिक उपक्रमों/ मण्डलों/ स्थानीय निकायों/ पंजीकृत संस्थाओं आदि के कर्मचारियों को राजकीय विभागों में विभिन्न पदों पर विपरीत प्रतिनियुक्ति **(Reverse Deputation)** पर लेने के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश परिपत्र संख्या प.1(2)वित्त/नियम/2003 पार्ट-I दिनांक 17.02.2007 के द्वारा जारी किये गये हैं। इन आदेशों के अनुसार किसी भी कर्मचारी को वित्त (नियम) विभाग की पूर्व स्वीकृति के उपरान्त ही राजकीय विभागों में विपरीत प्रतिनियुक्ति पर लिया जा सकता है।

विपरीत प्रतिनियुक्ति के दौरान ऐसे कर्मचारियों के वेतन से पैतृक संस्थान के नियमों के अनुसार वसूली योग्य राशि वेतन से काटी जानी होती है। कार्मिक का सीपीएफ अंशदान एवं नियोक्ता का अंशदान नियमित रूप से पैतृक संस्था को भेजा जाना आवश्यक है।

राज्य सरकार के ध्यान में लाया गया है कि कई विभागों द्वारा सार्वजनिक उपक्रमों/ मण्डलों/स्थानीय निकायों/ पंजीकृत संस्थाओं आदि के कर्मचारियों को राजकीय विभागों में विपरीत प्रतिनियुक्ति पर लिया गया है, परन्तु पैतृक विभाग के नियमों के अनुसार वसूली योग्य राशि, सीपीएफ अंशदान एवं नियोक्ता का अंशदान नियमित रूप से वेतन से कटौती कर पैतृक संस्थान को नहीं भेजा गया है/ भेजा जा रहा है।

विपरीत प्रतिनियुक्ति पर राजकीय विभागों में कार्यरत उक्त संस्थाओं के कर्मचारियों के वेतन से राज्य बीमा, जीपीएफ, आरपीएमएफ एवं राज्य कर्मचारियों से किये जाने वाली अन्य कटौतियां नहीं की जानी है।

अतः सभी विभागाध्यक्षों को निर्देशित किया जाता है कि अपने विभाग में विपरीत प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत कर्मचारियों के प्रकरणों का निश्चित रूप से पुनरीक्षण कर यह सुनिश्चित करें कि ऐसे कर्मचारियों के वेतन से सीपीएफ अंशदान कटौती एवं नियोक्ता का अंशदान नियमित रूप से नियोक्ता को संबंधित लेखों में जमा करवाने हेतु भिजवाया जा रहा है। यदि किसी प्रकरण में अभी तक सीपीएफ की कटौती एवं नियोक्ता का अंशदान कर्मचारी के पैतृक संस्थान को नहीं भेजा गया है/भेजा जा रहा है तो तुरन्त भेजा जावे एवं विपरीत प्रतिनियुक्ति की अवधि के सभी प्रकरणों में उक्त कटौती की जाकर नियमों की पालना सुनिश्चित की जावे।

अनुपालना नहीं किये जाने पर संबंधित लेखा सेवा के कर्मचारी/अधिकारी एवं विभागाध्यक्ष उत्तरदायी होंगे।

(सी.के. मैथ्यू)
प्रमुख शासन सचिव, वित्त

.... (2)

Vaibhav:D:Rules/Jain/Order-23.doc